

# झारखण्ड विधान सभा

## दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा

संख्या-03

चतुर्थ(शीतकालीन) सत्र

गुरुवार, दिनांक-17 दिसम्बर, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वो से 04.40 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

### 1. विविध चर्चायेः-

- i- कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखण्ड के अंचलाधिकारी की उपस्थिति में पेड़ कटवाकर बेचे जाने सम्बन्धी प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की माँग माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने की जिसका समर्थन माननीय नेता, प्रतिपक्ष सहित कतिपय माननीय सदस्यों ने भी किया। इसपर आसन की गम्भीरता एवं सदन की भावना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 72 घंटे के अन्दर जाँच कर कार्रवाई किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया,
- ii- माननीय पूर्व मंत्री, श्री योगेन्द्र साव पर लगाये गये सी.सी.एक्ट के विरोधस्वरूप माननीय सदस्य, श्रीमती निर्मला देवी सदन की 'वेल' में आकर धरने पर बैठ गयी और एस.आई.टी. गठित करने की माँग करने लगी। लेकिन, आसन के निरेश से माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम, श्री ईरफान अंसारी, श्री बिदेश सिंह एवं श्रीमती जोबा मांझी द्वारा उन्हें उनके स्थान पर ले जाया गया;
- iii- अखबार में प्रकाशित "मलेशिया में बंधक बगोदर के 38 मजदूर मुक्त होंगे" की ओर आसन का ध्यान माननीय सदस्य, श्री राजकुमार यादव ने आकृष्ट किया और प्रताड़ित हो रहे उक्त मजदूरों के शीघ्र रिहाई की माँग उन्होंने की;
- iv- माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्रनाथ महतो ने अपने द्वारा जे.पी.एस.सी. के विरुद्ध दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया। प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना के नियमानुकूल नहीं होने के कारण उसे आसन द्वारा अमान्य किया गया एवं इसे द्वितीय पाली में उठाये जाने हेतु निरेश दिया गया;
- v- माननीय पूर्व मंत्री, श्री योगेन्द्र साव पर लगाये गये सी.सी.एक्ट पर पुनर्विचार हेतु माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम ने आसन से आग्रह किया जिसका समर्थन माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी किया। माननीय विभागीय मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि उन्होंने इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति कल ही सदन में रख दी थी;
- vi- माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने उक्त विषय पर जाँच समिति बनाये जाने की माँग की जिसे आसन द्वारा कोट का हस्तक्षेप बताया गया। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने सी.सी.एक्ट हटाने हेतु आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री ने राजनीति के अपराधीकरण से परहेज किये जाने हेतु अनुरोध किया।

(2)

2. प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-56

**(i) उत्तरित कुल-15-**

अ० सू०-55,	श्री राधाकृष्ण किशोर,	स० वि० स०,
अ० सू०-56,	श्री विकास कुमार मुण्डा,	स० वि० स०,
अ० सू०-57,	श्री दशरथ गागराई,	स० वि० स०,
अ० सू०-59,	श्री शशिभूषण सामाड़,	स० वि० स०,
अ० सू०-60,	श्री प्रदीप यादव,	स० वि० स०,
अ० सू०-61,	श्री मोज कुमार यादव,	स० वि० स०,
अ० सू०-65,	श्री नागेन्द्र महतो,	स० वि० स०,
अ० सू०-66,	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता,	स० वि० स०,
अ० सू०-68,	श्री प्रदीप यादव,	स० वि० स०,
अ० सू०-69,	श्री दीपक बिरुद्धा,	स० वि० स०,
अ० सू०-71,	श्री प्रकाश राम,	स० वि० स०,
अ० सू०-83,	श्री दुलू महतो,	स० वि० स०,
अ० सू०-95,	श्री ईरफान अंसारी,	स० वि० स०,
अ० सू०-98,	श्रीमती गीता कोड़ा,	स० वि० स० एवं
अ० सू०-100,	श्री आलमगीर आलम,	स० वि० स०।

(खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित कुल-08 प्रश्नों अ०सू०-66,68,69,71,83,95,98, एवं 100 का उत्तर आसन के विदेश से एक साथ माननीय मंत्री द्वारा दिया गया।)

**(ii) स्थगित कुल-02-** अ० सू०-62, श्री शिवशंकर उरांव, स० वि० स० एवं

अ० सू०-64,	श्री शिवशंकर उरांव,	स० वि० स०।
------------	---------------------	------------

(गृह विभाग में स्थानान्तरित)

**(iii) अपृष्ठ कुल-02-** अ० सू०-58, श्री नलिन सोरेन, स० वि० स० एवं

अ० सू०-63,	श्री नलिन सोरेन,	स० वि० स०।
------------	------------------	------------

(दिनांक-18.12.2015 के लिए स्थगित)

**(iv) अनागत कुल-37-** अ०सू०-67,70,72 से लेकर 82 तक, 84 से लेकर 94 तक, 96,97,99 एवं 101 से लेकर अ० सू०- 110 तक।

3. आसन से नियमन:-

आम जनता के लिए किरासन तेल वितरण की पुरानी व्यवस्था ही तत्काल सरकार लागू करे।

4. शून्यकाल:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निमांकित माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनाये यहीं -

श्री जय प्रकाश वर्मा स० वि० स०,

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स० वि० स०,

(माननीय सदस्य श्री महतो द्वारा लाये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को शून्यकाल के रूप में पढ़े जाने की अनुमति आसन द्वारा दी गयी जिसपर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी। सरकारी उत्तर पर काफी शोरगुल होने लगा तत्पश्चात् आसन द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि

(3)

सरकार को इसपर विचार करना होगा और वह कल्ह गम्भीरतापूर्वक सदन में वस्तुस्थिति रखेगी क्योंकि आयोग सरकार से ऊपर नहीं है, सदन इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगा।

श्री अरुप चटर्जी,	स० वि० स०,
श्री अमित कुमार,	स० वि० स०,
श्री साधु चरण महतो	स० वि० स०,
श्री राजकुमार यादव,	स० वि० स०,
श्री ताला मराण्डी,	स० वि० स०,
श्री लक्ष्मण दुड़ू,	स० वि० स०,
श्री दशरथ गागराई,	स० वि० स०,
श्री जगननाथ महतो,	स० वि० स०,
श्री बिदेश सिंह,	स० वि० स०,
श्री सत्यन्द्रनाथ तिवारी,	स० वि० स०,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,	स० वि० स०,
श्री योगेश्वर महतो,	स० वि० स०,
श्री ईरफान अंसारी,	स० वि० स०,
श्री जानकी प्रसाद यादव,	स० वि० स०,
श्री अनिल मुर्मू,	स० वि० स०,
श्री कुणाल घड़ंगी,	स० वि० स०,
श्री केदार हजरा,	स० वि० स०,
श्रीमती निर्मला देवी,	स० वि० स०(अनुपस्थित),
श्री बादल,	स० वि० स०,
श्री रवीन्द्रनाथ महतो,	स० वि० स०,
श्री बिरंची नारायण,	स० वि० स० एवं
श्री नारायण दास,	स० वि० स०।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम ने शून्यकाल लिये जाने हेतु सही समय के निर्धारण का आग्रह किया और माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण द्वारा इस निमित्त रजिस्टर की व्यवस्था कराये जाने की माँग की गयी।)

#### 5.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाये एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया।

#### 6.औपचारिक कार्य:-

माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा आसन की अनुमति से झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2014 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

#### 7.वित्तीय कार्य:-

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रभारी मंत्री द्वारा “मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग” से सम्बन्धित माँग पेश की गयी।

(4)

श्री प्रदीप यादव, स०विंस० द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

अन्तराल के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

8. वित्तीय कार्य (क्रमांक-7 से जारी):-

उपर्युक्त माँग पर श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी जिसमें निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री राधाकृष्ण किशोर,

श्री कुणाल घड़ंगी,

श्री अनन्त कुमार ओझा,

श्री जय प्रकाश भाई पटेल,

श्री राम कुमार पाहन,

श्री मनोज कुमार यादव,

श्री लक्ष्मण दुड़ू एवं

श्री अरुप चटर्जी।

इसके उपरांत श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तत्पश्चात् “मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग” की माँग (क्रमांक-01 से 60 तक) सभा द्वारा स्वीकृत हुई। तदुपरांत सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक- 18 दिसम्बर, 2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक- 17 दिसम्बर, 2015 ई०।

बिनय कुमार सिंह,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा।